रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-7. REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

पाधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 415] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 4, 1975/आश्विन 12, 1897
No. 415] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 4, 1975/ASVINA 12, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 4th October 1975

S.O. 590(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Twenty-sixth Amendment Order, 1975.

2. In the Exports (Control) Order, 1968, Schedule I, Part 'B', the following items shall be deleted :—

"21 (vi) Cellulosic Art Silk fabrics" and

"21 (xii) Nylon Fabrics".

3. In the Exports (Control) Order, 1968 :

(a) in O.G.L. 3, the existing entries appearing against S. No. 19 shall be deleted.

(b) in O.G.L. 4, the existing entries appearing against S. Nos. 8 and 9 shall be deleted.

[No. E(C)O, 1968/AM(171)]

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1975

का० आ० 590(अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) छब्बीसवां संशोधन आदेश, 1975 की संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968, अनुसूची 1, भाग 'बी' में से निम्नलिखित मदें हटाई जाएंगी :—

"21(6) सैलूलोजीय नकली रेशम वस्त्र" और

"21(12) नाइलान वस्त्र"।

3. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में :—

(क) खुला सामान्य लाइसेंस 3 में क्रम संख्या : 19 के सामने प्रदर्शित विद्यमान प्रविष्टियां हटा दी जाएंगी।

(ख) खुला सामान्य लाइसेंस 4 में क्रम संख्या 8 और 9 के सामने विद्यमान प्रविष्टियां हटा दी जाएंगी।

[संख्या ई(सी)ओ, 1968/ए एम(171)]

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975